International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 02(II), April - June, 2023, pp. 90-93

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर परियोजनाः चुनौतियाँ

डॉ. विमलेश कुमारी*

प्रस्तावना

भारत में 1991 से आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को अपनाया इस दिशा में, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता अनुभव की गई। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार 1969 में 14 बड़े निजी बैंकों और 1980 में 6 और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ प्रारम्भ हो गई थी। बैंकिंग सुविधाएँ कम विकसित क्षेत्रों ग्रामीण किसानों, लघु उद्यमियों व अर्द्धशहरी व शहरी क्षेत्रों में शाखा विस्तार करना, बडे पैमाने पर जमा एकत्र करना व समाज के कमजोर वर्गो पर विशेष ध्यान देते उत्पादक क्रियाओं के लिए निधियां उधार देने पर विशेष बल दिया गया था। 1969 में कुल बैंक जमाएँ सकल घरेलू उत्पादन का 15% थी वे बढ़कर 40% हो गयी है। इस तरह बैंक शाखाओं की लगभग 40% शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्र में है। व्यापारिक बैंक प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों में अपने कुल ऋणो का 35 से 40% ऋण दे रहे है। बैंकिंग क्षेत्र में क्षेत्रीय विषमताओं में भी कमी आयी है।

परिचय

बैंक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ हैं, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशो में आर्थिक विकास को सक्रिय करने व बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। बैकिंग उद्योग व्यवसाय के लिए विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक का सर्मथन करती है। फिर भी बैंकिंग क्षेत्र में NPA, पुनः पूंजीकरण, बैंक धोखाधड़ी में वृद्धि, सम्पति की गुणवत्ता और भविष्य के आर्थिक विकास को खतरे में डाल रहे है, इसका बैंको के साथ–साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। 1991 से भारत में उदारीकण, वैश्वीकरण व अधिक सुधारों का युग प्रारम्भ हुआ है। उसमें भारत के बैंकिंग क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी व दूरगामी सुधार किये गये है। अगस्त 1991 में वित मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने वितीय क्षेत्र में सुधारो के लिए एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। उसके बाद वित मंत्री पी. चिदम्बरम ने भी बैंकिंग क्षेत्र सुधार (Banking Sector Reforms) हेतु एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। बैकिंग क्षेत्र सुधार हेतु गठित एम. नरसिंहम समिति ने 23 अप्रैल 1998 को अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय वित मंत्री यशवंत सिन्हा को सौंपा। इस समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की जो संक्षेप में आगे दी जा रही है।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य

- भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का समग्र विकास करने के उद्देश्य से बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली की संरचना, दक्षता व स्थिरता में परिवर्तनकारी बदलाव लाना और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ एकीकरण करना है।
- भारतीय बैंको को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और उन्हे विकास की प्रक्रिया को तेज करने में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- पूँजी पर्याप्तता और अन्य विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अन्तर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप रखना।

* सहायक आचार्य (ई.ए.एफ.एम.), आर.एल.के.एल. पाटनी राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान।

- आवंटन दक्षता व सामाजिक उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट वितरण प्रणाली में परिचालन कठोरता को दूर करना।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों हेतु नरसिंहम समिति ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की हैं –

- **SLR (वैधानिक तरलता अनुपात) और CRR (नकद आरक्षित अनुपात) में कमी :** समिति ने SLR व CRR के उच्च अनुपात को कम करने की सिफारिश की। ये दोनो अनुपात उस समय बहुत अधिक थे। SLR 38.5% व CRR 15% था यह बैंक की उत्पादकता में बाधा थी इसलिये समिति ने 5 वर्ष के भीतर चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत घटाकर SLR को 38.5 से घटाकर 25% और CRR को 15 से घटाकर 3 या 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई थी।
- **बैंकिंग क्षेत्र का संरचनात्मक पुनर्गठनः** समिति ने सुझाव दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वास्तविक संख्या को कम करने की आवश्यकता है। SBI सहित 3 से 4 बैंकों में पुनर्गठित किया जाए जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। 8 से 10 राष्ट्रीय बैंकों की शाखाओं का जाल देशभर में फैला हो जो सार्वभौमिक बैंकिंग पद्धति पर आधारित हो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व ग्रामीण बैंकों का परिचालन ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित हो तथा उनके व्यवसाय में कृषि व उससे सम्बन्धित गतिविधियों की अधिकता हो, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो। समिति ने सिफारिश की कि सरकार को अब कोई राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए और निजी व विदेशी बैंकों को भारत में उदार प्रवेश की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
- **ARF ट्रिब्यूनल की स्थापनाः** समिति ने एक ARF (सम्पति पुननिर्माण कोष) की स्थापना की सिफारिश की क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व विकास वितीय संस्थान के खराब ऋण व गैर – निष्पादित सम्पति (NPA) का अनुपात बहुत खराब होता जा रहा था। यह कोष बैंको व वितीय संस्थाओं से अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के अनुपात को ऊँचा लाने में मदद करेगा। इससे बैंको को खराब कर्ज से छुटकारा पाने में सहायता प्राप्त होगी।
- **दोहरे नियंत्रण को हटानाः** समिति ने सिफारिश की है की बैंकिंग प्रणाली पर रिजर्व बैंक व वित मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग का दोहरा नियंत्रण समाप्त किया जाए तथा रिजर्व बैंक को ही बैंकिंग प्रणाली को विनियमन का दायित्व सौंपा जाना चाहिए।
- **बैंकिंग स्वायतताः** समिति ने सिफारिश की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्वतंत्र और स्वायत होना चाहिए प्रतिस्पर्धात्मक और दक्षता को आगे बढ़ाने के लिए, बैंकों को स्वायतता प्रदान की जानी चाहिए ताकि कार्य संस्कृति में सुधार कर सके और बैंकिंग प्रौद्योगिकी का उन्नयन आसान किया जा सके।
- **पूंजी पर्याप्तता अनुपातः** समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को बढ़ाना चाहिए ताकि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1992 में पूंजी पर्याप्तता मानक बनाए जिनका बैंकों को मार्च 1996 से पालन करना था। अब सभी बैंकों ने 9 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त कर लिया है।
- **ब्याज दर निर्धारणः** समिति ने सुझाव दिया कि भारत में ब्याज दरें आधिकारियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। ब्याज दर का निर्धारण बाजार में फंड की मांग और आपूर्ति के आधार पर होना चाहिए। इसलिए समिति ने ब्याज दर पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने और प्राथमिकता क्षेत्र के लिए रियायती ब्याज दरों को समाप्त करने की सिफारिश की।
- **कार्यसंचालन की स्वतंत्रताः** प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा एक या अधिक ग्रामीण बैंकिंग सहायक इकाइयां खोली जाए जो इसकी सभी ग्रामीण शाखाओं का अधिग्रहण कर लें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी प्रकार का बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति हो। शाखाओ के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त की जाए तथा शाखाएँ खोलने व बंद करने का निर्णय सम्बंधित बैंको पर छोड़ दिया जाए।

- **निजी क्षेत्र के बैंको का प्रवेशः** समिति ने सिफारिश कि है कि बैंकिंग में प्रतिस्पर्धा को अधिक बढ़ाने और ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार निजी बैंकों के प्रवेश की अनुमति दी जाए। निजी बैंकों की पूँजी बढ़ाने के लिए संस्थागत निवेशकों से 20 प्रतिशत व अप्रवासी भारतीयों से 40 प्रतिशत अंश प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। वर्तमान में बैंकों में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाकर 74% तक कर दी गई है।
- **पर्यवेक्षण विभागः** वाणिज्यिक बैंको के कार्यो का पर्यवेक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक ने 22 दिसम्बर 1993 से एक पर्यवेक्षण विभाग की स्थापना की है। यह लेखा परीक्षको की नियुक्ति व धोखाधड़ी जैसे मामलो सहित विशेश जाँच, निगरानी व निगरानी निरीक्षण जैसे कार्य करता है।
- **बैंकिंग पर्यवेक्षणः** 1991 से बैंकिंग क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। वितीय पर्यवेक्षण बोर्ड, एक सलाहकार परिषद और पर्यवेक्षण के एक स्वतंत्र विभाग के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित किया गया था। 1997 में बैंकों को वितीय स्थिति का आंकलन करने के लिए CAMELS दृष्टिकोण (पूँजी पर्याप्तता), (Capital Adequacy), परिसंपति गुणवता (Assets Quality), प्रबंधन (Management), अर्जन (Earning), तरलता (Liquidity), और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (Control System) का उपयोग करते हुए एक नई पर्यवेक्षीय रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की गई थी।
- **विवेकपूर्ण मानदंड और प्रकटीकरण आवश्यकताएँः** आय निर्धारण के संबंध में, समिति ने वर्ष 2002 तक चरणबद्ध तरीके से 90 दिनों के मानदंड की शुरूआत करने की सिफारिश की, यानी मूलधन पर ब्याज या मूलधन कि किस्त का भुगतान 90 दिनो के भीतर नहीं किया जाता है। जो 180 दिन पहले था। इसके मानक संपतियो पर एक सामान्य प्रावधान का भी सुझाव दिया जो पहले नहीं था। जहां तक भविष्य के ऋणों का संबंध है, आय निर्धारण परिसंपति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के रूप में विवेकपूर्ण मानदंडों को सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमो पर उसी तरह लागू किया जाना चाहिए जैसे किसी अन्य अग्रिमो के लिए किया जाता है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने में मदद की हैं।

बैंकिंग सुधारो के समक्ष चुनौतियां

बैंकिंग सुधारों के लागू होने के पश्चात वाणिज्यि बैंकों के प्रदर्शन में निरंतर सुधार हो रहा है घरेलू व अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तन वितीय सेवाओं के सार्वभौमिक एकीकरण व अन्य सापेक्षित कारणों से वाणिज्यिक बैंकों के समक्ष अभी भी कुछ चुनौतियों शेष हैं। आर्थिक सुधारों के दूसरे दौर में यह प्रयास होना चाहिए था कि बैंकिंग क्षेत्र इन चुनौतियों का सामना स्वयं अपने संसाधनों से करने में समर्थ व समक्ष बन सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वर्तमान में बैंकों में निम्न लाभदायकता ऋण क्रियाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनर्जक परिसंपतियों में वृद्धि, निम्न पूंजी पर्याप्तता अनुपात, निम्न कोटि के ऋण निवेश, शेयर बाजार के सट्टे में लिप्त होना, स्थिति विवरण का उपरी दिखावा, अपर्याप्त सामाजिक बैंकिंग व दोहरा नियंत्रण संबंधित चुनौतियां का सामना भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक गंभीर चुनौतियां बनकर रह गई हैं। वर्तमान में देश के बैंकिंग क्षेत्र के सामने दो तरह की चुनौतियां है। आंतरिक और बाहरी। आंतरिक चुनौतियां ना हो तो आधुनिक बैंकिंग की बाहरी चुनौतियों से बैंक आसानी से निपट लेंगे। लेकिन आंतरिक चुनौतियां बैंकों को परेशान कर रही हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बैंकों के सामने गैर निष्पादित परिसंपतियों (NPA) की चुनौती चट्टान की तरह घड़ी है। भारतीय रिर्जव बैंक के आंकड़े बताते है,कि 31 मार्च 2021 तक बैंकों की 8.34 लाख करोड़ रूपये की सम्पति NPA थी। निपट लेंगे। दिसंबर 2021 में आई RBI की वितीय स्थिरता रिपोर्ट बताती है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल और गैरनिष्पादित परिसंपतियों (जीएनपीए) का अनुपात सितंबर 2022 तक बढ़कर 8. 1 फीसदी हो जाएगा, जो सितंबर 2021 में 6.9 फीसदी था तनावपूर्ण परिस्थिति में यह 9.5 फीसदी तक भी जा सकता है, यह चिंताजनक है। एनपीए एक ऐसी बीमारी है जो बैंकों को दीमक की तरह खोखला कर रही है। दिया गया ऋण तय समय के भीतर ब्याज सहित वापस लौट आए तो बैंक अपनी आर्थिक मजबूती के बल पर

प्रौद्योगिकी अवसंरचना विकास और कौशल विकास जैसी आधुनिक बैंकिंग की हर चुनौतियां से निपट सकते हैं लेकिन लंबे समय से ऐसा नहीं हो पा रहा है एनपीए के कारण बैंक सरकार की नजर में घाटे का सौदा है आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि वित वर्ष 2014–15 से 2019–20 तक की अवधि के दौरान बढ़कर 18.28 लाख करोड़ रूपए हो गया है। सरकार व आरबीआई ने मिलकर एनपीए के समाधान के जो उपाय अपनाए, उसे बैंको को लाभ की बजाय नुकसान ही हुआ है बेशक सरकार ने बैंकों के पुनःपूंजीकरण जैसा कदम उठाया, लेकिन एनपीए समाधान प्रक्रिया में हुए नुकसान के मुकाबले यह ऊँट के मुंह में जीरा ही था।

निष्कर्ष

बैंकिंग प्रणाली विकसित और विकासशील दोनों देशों में आर्थिक प्रणाली की जीवन रेखा है भारत में बैंकिंग प्रणाली ने केवल जमा करने व उधार देने के आर्थिक कार्यो तक सीमित है बल्कि यह वितीय समावेशन और समावेशी विकास जैसे सामाजिक कार्यो तक जुड़ा हुआ है। वर्तमान परिदृश्य में बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं ताकि इसके लचीलेपन में सुधार हो वितीय स्थिरता बनी रहे। इस संदर्भ में सरकार ने हाल ही में नए बैंकिंग सुधारों की घोषणा की है, जैसे आधारभूत ढांचे के लिए एक विकास वित संस्थान (DFI) की स्थापना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण आदि को भामिल किया हैं। आर्थिक सुधार होने के उपरांत भी बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का बोझ बढ़ता ही जा रहा है और हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का खराब प्रदर्शन एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है उदाहरण के लिए 1969 और 1991 के बीच ग्रामीण शाखओं का हिस्सा लगभग 22% से बढ़कर 58% से अधिक हो गया है जबकि शहरी व मेट्रो शाखाओं का हिस्सा 37% से गिरकर 23% से भी कम हो गया है इस प्रकार उदारीकरण बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है क्योंकि उदारीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किए गए संरचनात्मक परिवर्तनों ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को बदल दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. दत व सुंदरम (2010): भारतीय अर्थव्यवस्था, एस, चंद, नई दिल्ली
2. ओझा व मनोज कुमार ओझा (2015–16): मुद्रा बैंकिंग तथा राजस्व, आरबीडी पब्लिकेशन हाउस, जयपुर
3. नितिन सिंघानिया (2021–22) : भारतीय अर्थव्यवस्था, MC Graw Hill Education India Private Ltd.
4. https://www.insightsonindia.com
5. https://www.pscnotes.in
6. https://www.wikipedia.org
7. https://www.adb.org
8. https://www.justor.org
9. https://www.encyclopedia.com

❖◆❖